Tribune, Delhi, 16/01/2026
Page No: 3, Size: 18.73cm × 14.50cm

NHRC seeks report on caste-based segregation at cremation ground

TRIBUNE NEWS SERVICE

HISAR, JANUARY 15

Taking cognisance of a complaint alleging caste-based segregation at a cremation ground in Khasa Mahajanan village of Hisar district, the National Human Rights Commission (NHRC) has directed the district administration to inquire into the matter and submit an Action Taken Report (ATR) within two weeks.

According to the complaint, separate areas have allegedly been demarcated at the village cremation ground for performing last rites of persons belonging to the general category and the Scheduled Caste community. It was further alleged that the segregation was enforced by the village sarpanch through the installation of signboards.

The Commission has issued a notice under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The complainant described the practice as unconstitutional, humiliating and violative of human dignity and equality, even after death. It was alleged that such segregation amounts to untouchability and caste-based discrimination, in violation of Articles 14, 15 and 17 of the Constitution, and promotes social exclusion.

Seeking NHRC's intervention, the complainant urged strict action against those responsible and requested issuance of nationwide directions to prohibit and eradicate such practices.

Observing that the allegations prima facie disclose violations of human rights, the Bench of the NHRC, presided over by Priyank Kanoongo, has issued a notice to the Deputy Commissioner, Hisar.

Punjab Kesari, Chandigarh, 16/01/2026
Page No: 5, Size: 6.75cm × 18.76cm

पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने '15 कोर ग्रुप' के लिए आवेदन आमंत्रित किए

चंडीगढ़, 15 जनवरी (अर्चना): पंजाब राज्य और चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग ने क्षेत्र में मानवाधिकारों के संरक्षण को और मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की है। अध्यक्ष न्यायमूर्ति संत प्रकाश और सदस्य जितेंद्र सिंह शंटी के मार्गदर्शन में, आयोग ने 15 विभिन्न विषयगत 'कोर ग्रुप' बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विषय विशेषज्ञों, पेशेवरों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से आवेदन मांगे गए हैं।

ये कोर ग्रुप स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल अधिकार, नशा निवारण, पर्यावरण और आपराधिक न्याय सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य अनुभवी व्यक्तियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर नीतिगत सुधार करना और जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों की चुनौतियों का समाधान करना है।

इच्छुक और पात्र व्यक्ति आयोग की आधिकारिक के माध्यम से 4 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन समूहों की सदस्यता पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और इसके लिए कोई मानदेय या वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। आवेदकों का चयन उनकी विशेषज्ञता और राजनीतिक तटस्थता के आधार पर किया जाएगा।

Tribune, Chandigarh, 16/01/2026
Page No: 3, Size: 12.86cm × 10.21cm

NHRC seeks report on caste-based segregation at cremation ground

TRIBUNE NEWS SERVICE

HISAR, JANUARY 15

Taking cognisance of a complaint alleging caste-based segregation at a cremation ground in Khasa Mahajanan village of Hisar district, the National Human Rights Commission (NHRC) has directed the district administration to inquire into the matter and submit an Action Taken Report (ATR) within two weeks.

According to the complaint, separate areas have allegedly been demarcated at the village cremation ground for performing last rites of persons belonging to the general category and the Scheduled Caste community. It was further alleged that the segregation was enforced by the village sarpanch through the installation of signboards.

The Commission has issued a notice under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The complainant described the practice as unconstitutional, humiliating and violative of human dignity and equality, even after death. It was alleged that such segregation amounts to untouchability and caste-based discrimination, in violation of Articles 14, 15 and 17 of the Constitution, and promotes social exclusion.

Seeking NHRC's intervention, the complainant urged strict action against those responsible and requested issuance of nationwide directions to prohibit and eradicate such practices.

Observing that the allegations prima facie disclose violations of human rights, the Bench of the NHRC, presided over by Priyank Kanoongo, has issued a notice to the Deputy Commissioner, Hisar.

Greater Kashmir, Srinagar, 16/01/2026
Page No: 10, Size: 16.72cm × 11.46cm

NHRC takes suo motu cognisance of bonded labour case involving minor

GK News Service
New Delhi, Jan 15

The National Human Rights Commission (NHRC), has taken suo motu cognizance of a media report on the suffering of a 15-year-old boy from Bihar who was allegedly subjected to bonded labour for several months after being separated from his father at Bahadurgarh Railway Station in Haryana.

According to reports, the boy missed his train while fetching water at the station and was later taken to Gautam Budh Nagar in Uttar Pradesh on the pretext of being given work.

He was allegedly forced into bonded labour for about eight months and subjected to physical abuse. The boy reportedly lost his left arm at the elbow in a fodder-cutting machine and was abandoned without medical help before eventually returning home in August 2025.

Observing that the incident, if true, raises serious human rights concerns, the NHRC has issued notices to the Chief Secretary and Director General of Police of Haryana, the Commissioner of Police, Gautam Budh Nagar, and the District Magistrate of Kishanganj, Bihar, seeking detailed reports within two weeks.

The commission has also sought information on whether compensation has been paid, whether a Bonded Labour Release Certificate has been issued, and whether a disability certificate has been provided to enable the victim to avail benefits under the Persons with Disabilities Act, 2016.

Amar Ujala (My City), Hisar, 16/01/2026
Page No: 1, Size: 30.03cm × 13.86cm

विडंबना

अग्रोहा खंड के गांव खासा महाजन में अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बंटे श्मशान घाट...आयोग ने मांगा जवाब

जातिवाद का दंश...मर गए पर मुक्ति न मिली

संवाद न्यूज एजेंसी

हिसार/भिवानी। यह विडंबना ही है कि जातिवाद के दंश से समाज अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। हिसार जिले के अग्रोहा खंड के गांव खासा महाजन में तो श्मशान घाट तक को अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांट दिया गया। बाकायदा अलग-अलग बोर्ड लगा दिए जिन पर अनुसूचित जाति और जनरल श्मशान घाट लिखा गया।

हालांकि मामला चर्चा में आने के बाद ग्राम पंचायत ने बोर्ड अब हटा दिए हैं। जातिगत भेदभाव के इस गंभीर मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लेते हुए हिसार जिला प्रशासन से कार्रवाई रिपोर्ट (एक्शन टेकन रिपोर्ट-एटीआर) तलब की है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य भिवानी निवासी सुशील वर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि खासा महाजन गांव के श्मशान घाट में सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति के मृत लोगों के लिए अलग-अलग अंतिम संस्कार स्थल चिह्नित किए गए हैं। इसके बाकायदा बोर्ड भी लगाए गए हैं। यह कृत्य न केवल असांविधानिक है, बल्कि मानव गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे मानवाधिकारों का प्रथमदृष्टया उल्लंघन मानते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है।

आयोग ने हिसार के उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह के अंदर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें। आयोग ने यह भी माना है कि इस प्रकार की प्रथाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन हैं। इसके साथ ही अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देती हैं, जो कि लोकतांत्रिक समाज में अस्वीकार्य है।

निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए

किसी भी स्थिति में जाति के आधार पर भेदभाव वह भी अंतिम संस्कार जैसे संवेदनशील विषय पर संविधान और मानव गरिमा के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेता है। आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अमानवीय और असांविधानिक प्रथाओं की पुनरावृत्ति न हो।

- प्रियंक कानूनगो, सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।

आज किसी गांव में मृत्यु के बाद भी इंसान को उसकी जाति के आधार पर अलग किया जा रहा है तो यह लोकतंत्र और सामाजिक चेतना पर गहरा प्रश्नचिह्न है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर संज्ञान लिया। मेरी मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और देशभर में श्मशान घाटों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए ठोस निर्देश जारी किए जाएं।

-सुशील वर्मा, पूर्व सदस्य, बाल अधिकार संरक्षण आयोग।

श्मशान घाट पर लगाया गया बोर्ड। स्रोत : शिकायतकर्ता

गांव की स्थापना से ही अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के लोगों के श्मशान घाट अलग-अलग हैं। दोनों के बीच एक-डेढ़ किलोमीटर की दूरी है। अनुसूचित जाति के लिए तय श्मशान घाट खेतों के बीच है। ठेकेदार को बोर्ड लगाने को कहा था, लेकिन उसने दोनों पर जाति विशेष का जिक्र कर दिया। बोर्ड अब हटाए जा चुके हैं। गांव में दोनों ही जातियों के लोग आपसी सौहार्द और भाईचारे से रहते हैं। ***-बलवान फगेड़िया, सरपंच प्रतिनिधि, खासा महाजन।***

Dainik Jagran (Jagran City), Hisar, 16/01/2026
Page No: 1, Size: 25.43cm × 16.06cm

श्मशान घाट में जातिगत भेदभाव के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

हिसार ● विज्ञप्ति : जिले के खासा महाजनान गांव में श्मशान घाट में जातिगत भेदभाव के मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से कार्यवाही रिपोर्ट तलब की है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गांव के श्मशान घाट में सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अलग-अलग अंतिम संस्कार स्थल अवैध रूप से चिह्नित किए गए हैं। इस भेदभाव को लागू करने हेतु बोर्ड भी लगाए गए हैं। यह कृत्य न केवल असंवैधानिक है, बल्कि मानव गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। 1993 की धारा 12 के अंतर्गत संज्ञान लिया है। आयोग ने जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आयोग ने यह भी माना है कि इस प्रकार की प्रथाएं अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन है।

दोषी व्यक्ति व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता सुशील वर्मा ने आयोग से मांग की है कि दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा देशभर में इस प्रकार की अमानवीय और असंवैधानिक प्रथाओं पर रोक लगाने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

Hari Bhoomi, Hisar, 16/01/2026
Page No: 1, Size: 13.34cm × 18.65cm

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीसी से 14 दिन में मांगी रिपोर्ट

हिसार। अनुसूचित जाति के श्मशान घाट पर लगाया गया बोर्ड।

विवाद के बाद बोर्ड हटाया

गांव में कई वर्षों से ही यह श्मशान घाट अलग-अलग बने हुए हैं। जनरल का श्मशान घाट गांव के नजदीक है और एससी का गांव से थोड़ी दूरी पर है। जनरल श्मशान घाट में एससी को छोड़कर सभी को अंतिम संस्कार की इजाजत है, यह पुरानी परंपरा चली आ रही है। हां बोर्ड को लेकर विवाद उठा था, इसके बाद इसे हटा दिया गया है।
-मंजू बाला फरोड़िया, सरपंच

समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे मानवाधिकारों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन मानते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत संज्ञान लिया है। आयोग ने हिसार के जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए। आयोग ने यह भी माना है कि इस प्रकार की प्रथाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन हैं तथा अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देती हैं, जो कि लोकतांत्रिक समाज में अस्वीकार्य है। शिकायतकर्ता सुशील वर्मा ने आयोग से मांग की है कि दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

Dainik Bhaskar, Hisar, 16/01/2026
Page No: 2, Size: 10.16cm × 11.72cm

बोर्ड पर जातिगत शब्द लिखने पर मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

अग्रोहा के खासा महाजनान के श्मशान घाट में लगाए बोर्ड

भास्कर न्यूज | हिसार

अग्रोहा के गांव खासा महाजनान के श्मशान घाटों के बाहर सांकेतिक बोर्ड पर सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाति शब्द लिखने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंच गया है। आयोग ने मामले में तुरंत कड़ा संज्ञान लेकर हिसार प्रशासन (उपायुक्त) से 2 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। हालांकि, यह मामला उजागर होने के बाद सरपंच प्रतिनिधि ने बोर्ड पर लिखे शब्दों को हटवा दिया और इस गलती के लिए बोर्ड लगाने वाले ठेकेदार को जिम्मेदार बताया।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। वर्मा ने आरोप लगाया कि गांव के श्मशान घाट में सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अलग-अलग अंतिम संस्कार स्थल अवैध रूप से चिह्नित किए हैं। इस जातिगत भेदभाव को लागू करने के लिए बोर्ड भी लगा दिए।

हिसार | श्मशान घाट में सामान्य वर्ग व अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अलग-अलग बोर्ड लगाए गए। हालांकि, बाद में इन्हें हटा दिया गया।

ठेकेदार ने गलती से लगाए, अब हटाए

खासा महाजनान की सरपंच मंजू बाला के ससुर बलवान ने बताया जलघर सहित अन्य स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने का ठेका दिया था। गांव में वर्षों से सामान्य व अनुसूचित जाति वर्ग के अलग-अलग श्मशान घाट हैं। संबंधित समुदाय अलग-अलग घाट में अंतिम संस्कार करता रहा है। ठेकेदार ने किसी से पूछकर दोनों घाटों के सामने उक्त जातिगत शब्द लिखित बोर्ड लगा दिए। सोशल मीडिया पर इनकी फोटो वायरल होते ही संज्ञान लेकर उन्हें हटवा दिया है।

Dainik Jagran, Online News, 16/01/2026

Source: http://english.dainikjagranmpcg.com/national/nhrc-seeks-clarification-from-railways-on-non-vegetarian-food-served-on/article-12431

NHRC Seeks Clarification from Railways on Non-Vegetarian Food Served on Trains

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Railway Board and the Ministry of Tourism, seeking a detailed report on the preparation and sourcing of non-vegetarian food served on Indian trains. The Commission has asked the Railways to clarify whether meat served onboard is halal, jhatka, or both, and to submit a comprehensive response within four weeks.

The notice follows complaints from Sikh organisations alleging that only halal-prepared meat is being served in railway catering services, which they argue is discriminatory and violates the religious practices of certain communities. The matter was taken up after the NHRC found the initial report submitted by the Railways to be incomplete and lacking specific information.

In its communication dated January 12, the NHRC observed that passengers have a fundamental right to know how the food served to them is prepared. The Commission noted that as per Sikh Rehat Maryada, the consumption of halal meat is prohibited for Sikhs, making transparency in food preparation essential. It also flagged concerns that halal-only practices could indirectly restrict employment opportunities for people from non-Muslim communities in food preparation and supply chains.

The NHRC pointed out that the Railway Board's report failed to specify which vendors or contractors supply halal meat, jhatka meat, or both. It further noted that Indian Railways, through IRCTC, engages multiple contractors to provide catering services on trains, stations, and railway-run hotels, but there is no publicly available clarity on the standards followed by these vendors.

The Commission has sought three key details from the Railway Board: a complete list of all catering vendors and contractors, clear identification of the type of meat supplied by each contractor along with the trains and stations where it is served, and a separate report outlining steps to address these concerns within railway quality and service norms.

Responding earlier, the Railway Board had stated that Indian Railways and IRCTC adhere to the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) guidelines and that there is no official policy mandating the serving of halal-certified food on trains. The issue was also examined by the Central Information Commission (CIC) in the past, which found no record of any formal policy, approval mechanism, or passenger consent related to halal food.

The NHRC has also issued a notice to the Secretary of the Ministry of Tourism, noting that existing hotel classification and rating guidelines do not require disclosure of meat preparation methods. The Ministry has been asked to review the matter and submit its response within the same four-week timeframe.

The Commission said further action would depend on the replies received from the concerned authorities.

Devdiscourse, Online News, 16/01/2026

Source: https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3771291-nhrc-demands-action-in-disturbing-human-rights-violation-cases

NHRC Demands Action in Disturbing Human Rights Violation Cases

The National Human Rights Commission has issued notices to Uttar Pradesh and Bihar police chiefs after media reports of severe human rights violations. Incidents include the gangrape of a minor in Kanpur and the bonded labor and abuse of a boy in Bihar, prompting calls for immediate investigations.

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken decisive steps by issuing notices to chief police officials in Uttar Pradesh following reports of a minor girl's abduction and gangrape earlier this month. One suspect is a police sub-inspector, adding urgency to the investigation.

In a separate case, the NHRC is addressing reports of a 15-year-old from Bihar forced into bonded labor after being separated from his father. The boy suffered severe physical abuse, including losing an arm, raising further alarm about human rights practices.

These cases underscore severe human rights concerns, prompting NHRC to demand detailed reports and inquiry results within two weeks. The Commission emphasizes the need for rehabilitation and compensation, highlighting systemic issues within law enforcement and protection frameworks.

Greater Kashmir, Online News, 16/01/2026

Source: https://m.greaterkashmir.com/article/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-bonded-labour-case-involving-minor/469475/amp

NHRC takes suo motu cognisance of bonded labour case involving minor

According to reports, the boy missed his train while fetching water at the station and was later taken to Gautam Budh Nagar in Uttar Pradesh on the pretext of being given work

New Delhi, Jan 15: The National Human Rights Commission (NHRC), has taken suo motu cognizance of a media report on the suffering of a 15-year-old boy from Bihar who was allegedly subjected to bonded labour for several months after being separated from his father at Bahadurgarh Railway Station in Haryana.

According to reports, the boy missed his train while fetching water at the station and was later taken to Gautam Budh Nagar in Uttar Pradesh on the pretext of being given work.

He was allegedly forced into bonded labour for about eight months and subjected to physical abuse. The boy reportedly lost his left arm at the elbow in a fodder-cutting machine and was abandoned without medical help before eventually returning home in August 2025.

Observing that the incident, if true, raises serious human rights concerns, the NHRC has issued notices to the Chief Secretary and Director General of Police of Haryana, the Commissioner of Police, Gautam Budh Nagar, and the District Magistrate of Kishanganj, Bihar, seeking detailed reports within two weeks.

The commission has also sought information on whether compensation has been paid, whether a Bonded Labour Release Certificate has been issued, and whether a disability certificate has been provided to enable the victim to avail benefits under the Persons with Disabilities Act, 2016.

Source: https://english.hindusthansamachar.in/Encyc/2026/1/15/NHRC-labour-horror-bihar-boy-probe.php

NHRC Cracks Down on Bonded Labour Horror: 15-Year-Old Bihar Boy's Agonising Ordeal Triggers Probe

New Delhi, 15 January (H.S.): The National Human Rights Commission (NHRC) of India took suo motu cognizance on Thursday of a harrowing media report detailing a 15-year-old boy from Bihar's Kishanganj district who endured eight months of bonded labour after being separated from his father at Haryana's Bahadurgarh Railway Station, issuing notices to top officials across three states for detailed reports within two weeks.

The incident unfolded when the boy alighted from a train to fetch water amid surging crowds, missing re-boarding and stranding him alone. Lingering at the station for two days, he fell prey to a man promising employment, who trafficked him to Greater Noida's Gautam Budh Nagar district in Uttar Pradesh. There, the minor toiled from dawn till dusk—grazing cattle, cutting fodder—under relentless physical torture.

An escape bid failed; captors recaptured and brutalised him further. Tragedy peaked when his left elbow severed in a foddercutting machine; the employer abandoned him roadside without medical succour.

An unidentified passerby transported the gravely injured youth to a Nuh district hospital in Haryana, from whence fear of recapture spurred barefoot flight over three kilometres until government schoolteachers spotted his plight, alerting Government Railway Police at Bahadurgarh. He finally reunited with family in August 2025—nine months post-separation—his mangled limb a permanent testament to exploitation.

NHRC flagged glaring lapses: no Bonded Labour Release Certificate—mandatory under the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer-2021—precluding compensation or aid; queried disability certification for Persons with Disabilities Act, 2016 benefits.

Notices demand responses from Haryana's Chief Secretary and DGP, Gautam Budh Nagar's Police Commissioner and DM, and Kishanganj DM, probing complicity, relief disbursement, and prosecutorial action.

Impressive Times, Online News, 16/01/2026

Source: https://impressivetimes.com/latest/nhrc-suo-motu-cognizance-bonded-labour-minor-haryana/

NHRC Seeks Reports After Minor From Bihar Forced Into Bonded Labour Following Separation at Haryana Railway Station

The boy from Kishanganj district of Bihar separated from his father at Bahadurgarh Railway Station in Haryana and subjected to bonded labour in Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh

New Delhi, January 15: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a disturbing incident involving a minor boy who was allegedly forced into bonded labour for several months after being separated from his father at Bahadurgarh Railway Station in Haryana.

According to media reports, the 15-year-old boy, a resident of Bihar's Kishanganj district, was travelling with his father when he stepped off the train to fetch drinking water. Due to heavy crowding at the station, he was unable to re-board the train and was left behind. The boy reportedly remained at the railway station for two days before being approached by an individual who promised him employment.

The child was allegedly taken to the Greater Noida region of Gautam Budh Nagar district in Uttar Pradesh, where he was forced to work under exploitative conditions for nearly eight months. Reports suggest that he was made to perform physically demanding tasks from early morning until late night, including cattle grazing and fodder cutting, and was subjected to repeated physical abuse.

The situation reportedly worsened when the boy attempted to escape but was caught and beaten. During his captivity, his left arm was severely injured and later amputated at the elbow after an accident involving a fodder-cutting machine. It is alleged that the employer abandoned the injured child on the roadside without providing any medical assistance.

The boy was later taken to a hospital in Haryana's Nuh district by an unidentified individual. Fearing further exploitation, he reportedly fled the hospital and walked barefoot for several kilometres until two government school teachers noticed his condition and alerted the Government Railway Police at Bahadurgarh. The child eventually managed to return to his home in August 2025.

Taking note of the seriousness of the allegations, the NHRC observed that the incident, if confirmed, points to grave violations of human rights. The Commission has issued notices to the Chief Secretary and Director General of Police of Haryana, the Commissioner of Police of Gautam Budh Nagar in Uttar Pradesh, and the District Magistrate of Kishanganj in Bihar, seeking detailed reports within two weeks.

The Commission has also sought clarification on whether the victim has received compensation and whether a Bonded Labour Release Certificate has been issued, which is essential for rehabilitation and financial assistance under the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers, 2021. Additionally, authorities have been asked to confirm whether a disability certificate has been provided to enable the child to access benefits under the Persons with Disabilities Act, 2016.

The NHRC said the matter requires urgent attention to ensure accountability, rehabilitation, and justice for the victim.

Observer Voice, Online News, 16/01/2026

Source: https://observervoice.com/tragic-bonded-labor-case-sparks-nhrc-investigation-in-bihar-174084/

Tragic Bonded Labor Case Sparks NHRC Investigation in Bihar

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has stepped in following reports of a horrifying incident involving a 15-year-old boy from Kishanganj district, Bihar. After being separated from his father at Bahadurgarh Railway Station in Haryana, the boy endured months of bonded labor, ultimately suffering a severe injury. According to media reports, the ordeal began when the boy disembarked from the train to fetch water but could not return due to the overwhelming crowd. His father, left unaware of his son's plight, continued on to their destination. Over the next eight months, the boy endured harsh conditions under forced labor, during which he lost his left elbow due to an accident involving a fodder-cutting machine.

The NHRC's inquiry was prompted by these troubling reports, which suggest a significant violation of human rights. Notices have been issued to key authorities, including the Chief Secretary and Director General of Police in Haryana, along with the Commissioner of Police in Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, and the District Magistrate of Kishanganj. The Commission has requested responses within two weeks.

Forced Labor and No Rehabilitation

The reports state that after missing his train, the boy spent two days at the railway station before being lured by a man promising employment. Taken to Greater Noida in Uttar Pradesh, he was forced to work long hours, including grazing cattle and cutting fodder. His employer subjected him to regular beatings and physical abuse. In a desperate attempt to escape his situation, the boy tried to flee but was recaptured and punished severely. Tragically, his arm got trapped in a fodder-cutting machine, leading to a life-altering injury. Rather than assisting him, his employer abandoned him on a roadside, leaving the boy to fend for himself.

Fortunately, a passerby took him to a hospital, but fear of being caught once more drove him to escape. He then walked barefoot for over three kilometers before encountering two school teachers, who reported his situation to the Government Railway Police (GRP) in Bahadurgarh. Eventually, he returned home in August 2025, but not without severe trauma.

Calls for Action and Support

Compounding the severity of his situation is the lack of a Bonded Labour Release Certificate, a vital document for accessing rehabilitation and compensation under the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers-2021. The NHRC has asked if any compensation has been provided to the victim, as well as whether a Disability Certificate has been issued to facilitate access to services under the Persons with Disabilities (PwD) Act, 2016.

This tragic incident has highlighted serious concerns regarding child labor and the implementation of laws protecting vulnerable individuals in India. The NHRC's intervention is a crucial step toward addressing these violations and ensuring justice for the young victim of this harrowing circumstance.

Source: https://ommcomnews.com/india-news/nhrc-takes-suo-moto-cognisance-of-media-report-on-bihar-minor-forced-into-bonded-labour/

NHRC Takes Suo Moto Cognisance Of Media Report On Bihar Minor Forced Into Bonded Labour

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report stating that a 15-year-old boy from Bihar's Kishanganj district suffered months of bonded labour after being separated from his father at Haryana's Bahadurgarh Railway Station.

According to the press report, the minor had stepped off the train to fetch water but could not reboard due to heavy crowding, following which he missed the train and was left alone at the station.

The boy reportedly remained missing for eight months, during which he was subjected to bonded labour, before managing to reach his home with his left arm severed at the elbow.

Observing that the contents of the media report, if true, "raise a serious issue of violation of human rights", the apex human rights body has issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police of Haryana, as well as the Commissioner of Police of Gautam Budh Nagar and the District Magistrate of Kishanganj, calling for a detailed response within two weeks.

The NHRC has also sought information on whether any compensation has been paid to the victim and whether a Disability Certificate has been issued to enable him to avail benefits under the Persons with Disabilities (PwD) Act, 2016.

It has further noted that a Bonded Labour Release Certificate — mandatory for rehabilitation and compensation under the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers-2021 — is yet to be issued by the authorities.

As per the media report dated January 12, after missing the train, the boy stayed at the railway station for two days before a man lured him on the pretext of providing employment and took him to Greater Noida in Uttar Pradesh.

It added that the minor was allegedly forced to work from early morning till night, including taking cattle to graze and cutting fodder, and was subjected to frequent physical abuse. The report further stated that when the boy attempted to escape from the bondage, he was caught and beaten.

During the course of the forced labour, his left hand was reportedly severed at the elbow by a fodder-cutting machine. The employer allegedly abandoned him on a roadside without providing any medical assistance.

Subsequently, an unidentified person took the injured child to a hospital in Haryana's Nuh district, from where he fled out of fear of being recaptured. He reportedly walked barefoot for over three kilometres before being noticed by two government school teachers, who informed the Government Railway Police at Haryana's Bahadurgarh.

Source: https://theprint.in/india/nhrc-issues-notice-to-up-police-chief-over-abduction-gangrape-of-minor-girl-in-kanpur/2828371/

NHRC issues notice to UP police chief over abduction, gangrape of minor girl in Kanpur

New Delhi, Jan 15 (PTI) The NHRC on Thursday said it has issued a notice to the Uttar Pradesh police chief over reports that a minor girl was allegedly abducted and gangraped in Kanpur district earlier this month.
"Reportedly, one of the accused is a sub-inspector of the Uttar Pradesh police", the National Human Rights Commission said in a statement.
The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report on the abduction and rape of a 14-year-old girl in Kanpur district of Uttar Pradesh on January 5," it said.
The Commission has observed that the content of the news report, if true, raises a serious issue of human rights violations. Therefore, it has issued a notice to the Director General of police of Uttar Pradesh, seeking a detailed report in two weeks.
According to the media report, carried on January 10, the girl was "abducted from near her house on the night of January 5. She was taken to a place near a railway line where she was subjected to gangrape by two persons," it said.
"Reportedly, the family members took the victim to the Bhimsen police outpost for registration of an FIR, but they were allegedly turned away by the police. After this, the family went to the Sachendi police station, where an FIR was registered against the occupants of an unknown car for abduction and rape", it said.
In a separate statement, the NHRC said that it has "taken suo motu cognisance of a media report that a 15-year-old boy from Kishanganj district of Bihar suffered for several months under bonded labour after being separated by his father at Bahadurgarh railway station in Haryana".
"Reportedly, the boy stepped off the train to fetch water at the railway station but could not board it again to be with his father, due to the heavy crowd there. Thereafter, he missed the train and for eight months he suffered the ordeal of bonded labour before managing to return home with his left elbow severed," it said.
The news report has also revealed that a bonded labour release certificate, which is a mandatory document required to access any rehabilitation and compensation for the victim, is allegedly "yet to be released by the authorities", under the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer 2021.
The Commission has observed that the content of the media report, if true, raises a serious issue of human rights violations. Therefore, it has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Haryana, as well as the commissioner of police of Gautam Budh Nagar in Uttar Pradesh and the district magistrate of Kishanganj in Bihar. The response is expected from the authorities within two weeks, it added.
The NHRC has also directed the authorities to inform whether any compensation has been paid, and a disability certificate has been issued or not, to enable the victim to get the benefits of the Persons with Disabilities (PwD) Act, 2016, the rights panel said.
According to the media report, carried on January 12, the boy after missing the train, stayed at the railway station for two days after which a man, in the name of providing him a job, allegedly took him to Greater Noida area in Gautam Budh Nagar district of Uttar Pradesh, where he was "made to work from early morning until night, including grazing the cattle and cutting fodder".
"He was allegedly subjected to frequent physical torture by his employer. The victim reportedly made an unsuccessful attempt to escape from the bondage, but he was caught and subject to beating", it said.
The news report further reveals that the victim's left hand was severed at the elbow in the fodder-cutting machine. He was abandoned on a road by his employer without providing any medical aid, the statement said.

“Reportedly, some unknown person took him to a hospital in Nuh district of Haryana from where, due to fear of being caught by his employer again, he ran away and walked barefoot for more than three kilometres until two government teachers noticed him and the matter was reported to the Government Railway Police (GRP), Bahadurgarh, Haryana. He returned home in August 2025,” the statement added.

Source: https://www.theweek.in/wire-updates/national/2026/01/15/nhrc-issues-notice-to-up-police-chief-over-abduction-gangrape-of-minor-girl-in-kanpur.amp.html

NHRC issues notice to UP police chief over abduction gangrape of minor girl in Kanpur

New Delhi, Jan 15 (PTI) The NHRC on Thursday said it has issued a notice to the Uttar Pradesh police chief over reports that a minor girl was allegedly abducted and gangraped in Kanpur district earlier this month.
"Reportedly, one of the accused is a sub-inspector of the Uttar Pradesh police", the National Human Rights Commission said in a statement.
The NHRC has taken "suo motu cognisance of a media report on the abduction and rape of a 14-year-old girl in Kanpur district of Uttar Pradesh on January 5," it said.
The Commission has observed that the content of the news report, if true, raises a serious issue of human rights violations. Therefore, it has issued a notice to the Director General of police of Uttar Pradesh, seeking a detailed report in two weeks. According to the media report, carried on January 10, the girl was "abducted from near her house on the night of January 5. She was taken to a place near a railway line where she was subjected to gangrape by two persons," it said.
"Reportedly, the family members took the victim to the Bhimsen police outpost for registration of an FIR, but they were allegedly turned away by the police. After this, the family went to the Sachendi police station, where an FIR was registered against the occupants of an unknown car for abduction and rape", it said.
In a separate statement, the NHRC said that it has "taken suo motu cognisance of a media report that a 15-year-old boy from Kishanganj district of Bihar suffered for several months under bonded labour after being separated by his father at Bahadurgarh railway station in Haryana".
"Reportedly, the boy stepped off the train to fetch water at the railway station but could not board it again to be with his father, due to the heavy crowd there. Thereafter, he missed the train and for eight months he suffered the ordeal of bonded labour before managing to return home with his left elbow severed," it said.
The news report has also revealed that a bonded labour release certificate, which is a mandatory document required to access any rehabilitation and compensation for the victim, is allegedly "yet to be released by the authorities", under the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer 2021.
The Commission has observed that the content of the media report, if true, raises a serious issue of human rights violations. Therefore, it has issued notices to the chief secretary and the director general of police of Haryana, as well as the commissioner of police of Gautam Budh Nagar in Uttar Pradesh and the district magistrate of Kishanganj in Bihar. The response is expected from the authorities within two weeks, it added.
The NHRC has also directed the authorities to inform whether any compensation has been paid, and a disability certificate has been issued or not, to enable the victim to get the benefits of the Persons with Disabilities (PwD) Act, 2016, the rights panel said.
According to the media report, carried on January 12, the boy after missing the train, stayed at the railway station for two days after which a man, in the name of providing him a job, allegedly took him to Greater Noida area in Gautam Budh Nagar district of Uttar Pradesh, where he was "made to work from early morning until night, including grazing the cattle and cutting fodder".
"He was allegedly subjected to frequent physical torture by his employer. The victim reportedly made an unsuccessful attempt to escape from the bondage, but he was caught and subject to beating", it said.
The news report further reveals that the victim's left hand was severed at the elbow in the fodder-cutting machine. He was abandoned on a road by his employer without providing any medical aid, the statement said.

"Reportedly, some unknown person took him to a hospital in Nuh district of Haryana from where, due to fear of being caught by his employer again, he ran away and walked barefoot for more than three kilometres until two government teachers noticed him and the matter was reported to the Government Railway Police (GRP), Bahadurgarh, Haryana. He returned home in August 2025," the statement added.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/man-dies-after-slipping-into-uncovered-drain-in-salia-sahi/articleshow/126551683.cms

Man dies after slipping into uncovered drain in Salia Sahi

Bhubaneswar: A 45-year-old man, Sinu Gagarai, died on Thursday, allegedly after slipping into an uncovered drain at Salia Sahi, one of the city's largest slum clusters. Police said the victim sustained severe head injuries and was rushed to Capital Hospital, where doctors declared him dead on arrival.

Maitree Vihar police registered an UD case in the matter. "We registered the case and initiated an investigation. Things will be clear only after enquiry with the family members and local residents," a police official said.

Locals alleged that despite repeated complaints, the drain remained open and posed a danger to pedestrians. "We demanded proper covers for months, but nothing was done. These drains are death traps," said Rohit Jena, a resident of Salia Sahi.

This was not an isolated case. Bhubaneswar witnessed several such incidents over the years. "The recurring mishaps exposed the seriousness of the civic body in ensuring public safety. This is not acceptable," Tarakanta Majhi, another resident, said.

According to civic data, over 27 km of drains remained uncovered in the city, despite repeated directives from the National Human Rights Commission to ensure safety measures. Experts said poor planning and lack of barricades during the monsoon made these drains hazardous.

"Open drains are a ticking time bomb. The city needs urgent intervention to prevent such avoidable deaths. The city has 11 natural drainage channels which need to be guarded for their own preservation and people's safety," said city-based urban planner Dipu Nanda.

A senior BMC official said they were reviewing the incident and would take corrective steps. "We are not yet sure that the man died after falling into the drain. However, covering drains and installing barricades remained our top priority," he said.

In Aug 2024, a nine-year-old boy died after being swept away in an open drain at Unit-III. Following the incident, the BMC took proactive steps and barricaded all the natural drainage channels, and also covered the large drains with concrete slabs.

"We took the matter on priority and also removed an engineer following the 2024 incident. We are completely aware and working to ensure the safety of the people from such mishaps," city mayor Sulochana Das said.

Dainik Bhaskar, Online News, 16/01/2026

Source: https://www.bhaskar.com/local/haryana/hisar/news/nhrc-takes-cognizance-caste-cremation-ground-hisar-dc-report-sought-136950698.html

हिसार में जाति देखकर अंतिम संस्कार:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जातिगत श्मशान घाट पर लिया संज्ञान, डीसी से मांगी रिपोर्ट

हरियाणा के हिसार जिले के खासा महाजनान गांव में श्मशान घाट विवादों में है। यहां एससी जाति का अलग और जनरल के अलग-अलग श्मशान घाट है। एससी समुदाय के व्यक्ति को जरनल श्मशान घाट में अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं है। इसी जातिगत भेदभाव के गंभीर मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है।

इस संबंध में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।

अंतिम संस्कार स्थल अवैध रूप से चिह्नित

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गांव के श्मशान घाट में सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अलग-अलग अंतिम संस्कार स्थल अवैध रूप से चिह्नित किए गए हैं और इस भेदभाव को लागू करने के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। यह कृत्य न केवल असंवैधानिक है, बल्कि मानव गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।

डीसी से 14 दिन में मांगी रिपोर्ट

वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे मानवाधिकारों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन मानते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत संज्ञान लिया है। आयोग ने हिसार के जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।

आयोग ने संविधान का उल्लंघन माना

आयोग ने यह भी माना है कि इस प्रकार की प्रथाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन हैं तथा अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देती हैं, जो कि लोकतांत्रिक समाज में अस्वीकार्य है। शिकायतकर्ता सुशील वर्मा ने आयोग से मांग की है कि दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और देशभर में इस प्रकार की अमानवीय और असंवैधानिक प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाए।

हमने बोर्ड हटा दिए हैं- सरपंच

वहीं सरपंच मंजू बाला फगेड़िया ने कहा कि गांव में काफी सालों से ही यह श्मशान घाट अलग-अलग बने हुए हैं। जनरल का श्मशान घाट गांव के नजदीक है और एससी का गांव से थोड़ी दूरी पर है। जरनल श्मशान घाट में एससी को छोड़कर सभी को अंतिम संस्कार की इजाजत है, यह पुरानी परंपरा चली आ रही है। हां बोर्ड को लेकर विवाद उठा था, इसके बाद इसे हटा दिया गया है।

Dainik Bhaskar, Online News, 16/01/2026

Source: https://www.bhaskarhindi.com/other/hindi-bjp-will-retain-power-in-assam-says-cm-himanta-biswa-sarma-20260115235303-1239916

किशनगंज के 15 साल के लड़के के शोषण पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, पुलिस-प्रशासन से मांगा जवाब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के किशनगंज जिले का 15 साल का एक लड़का करीब आठ महीने तक बंधुआ मजदूरी का शिकार रहा। यह घटना हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से शुरू हुई, जहां लड़का अपने पिता से अलग हो गया था।

नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार के किशनगंज जिले का 15 साल का एक लड़का करीब आठ महीने तक बंधुआ मजदूरी का शिकार रहा। यह घटना हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से शुरू हुई, जहां लड़का अपने पिता से अलग हो गया था।

बताया जा रहा है कि लड़का ट्रेन से उतरकर पानी लेने गया था, लेकिन भारी भीड़ के कारण फिर से ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। इसके बाद ट्रेन छूट गई और वह अपने पिता के पास नहीं पहुंच सका। वहीं से उसकी जिंदगी मुश्किलों में बदल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उसे एक आदमी ने नौकरी देने के बहाने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा इलाके में ले जाकर बंधुआ मजदूरी कराई।

लड़के को सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। उससे गाय चराने और चारा काटने जैसे काम कराए गए और अक्सर शारीरिक रूप से मार-पीट भी होती रही। लड़के ने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ लिया गया और बेरहमी से पीटा गया। इतनी यातनाओं के बीच, सबसे बड़ी घटना तब हुई जब चारा काटने की मशीन में उसका बायां हाथ कुचल गया और कुहनी से कट गया। इसके बाद उसे इलाज के लिए भी नहीं भेजा गया और सड़क पर फेंक दिया गया।

कुछ अजनबी व्यक्ति उसे नूंह जिले, हरियाणा के अस्पताल ले गए, लेकिन डर के कारण लड़का वहां से भाग गया और लगभग तीन किलोमीटर पैदल चलकर कहीं पहुंचा। आखिरकार दो सरकारी शिक्षकों ने उसे देखा और घटना की जानकारी जीआरपी बहादुरगढ़, हरियाणा को दी। लड़का अंततः अगस्त 2025 में अपने घर किशनगंज, बिहार लौट सका।

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बंधुआ मजदूर को रिहा करने के लिए जरूरी बंधुआ मजदूर रिहाई प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। ये दस्तावेज सरकार द्वारा दी जाने वाली पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं, जो केंद्रीय क्षेत्रीय योजना 'बंधनमुक्ति पुनर्वास योजना-2021' के तहत आता है।

एनएचआरसी ने कहा है कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है, तो ये गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की घटना है। इसलिए आयोग ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर और बिहार के किशनगंज के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों से दो हफ्तों के अंदर पूरा विवरण मांगा गया है।

साथ ही आयोग ने यह भी पूछा है कि क्या लड़के को कोई मुआवजा मिला और क्या उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ताकि वह दिव्यांगता अधिनियम, 2016 के तहत मिलने वाले लाभ ले सके।

Dainik Jagran, Online News, 16/01/2026

Source: https://www.jagran.com/haryana/hisar-discrimination-even-at-the-crematorium-a-separate-crematorium-for-scheduled-castes-was-created-in-hisar-40108391.html

अंतिम संस्कार में भी भेदभाव! अनुसूचित जाति के लिए बनाया अलग श्मशान; मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

हरियाणा के हिसार जिले के खासा महाजनान गांव में श्मशान घाट में जातिगत भेदभाव के गंभीर मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने जिला प्रशासन से दो सप्ताह में कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। शिकायत के अनुसार, सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए अलग-अलग अंतिम संस्कार स्थल बनाए गए हैं, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन करती है।
जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा के हिसार जिले के खासा महाजनान गांव में श्मशान घाट में जातिगत भेदभाव के गंभीर मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR) तलब की है।
इस संबंध में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गांव के श्मशान घाट में सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अलग-अलग अंतिम संस्कार स्थल अवैध रूप से चिन्हित किए गए हैं तथा इस भेदभाव को लागू करने हेतु बोर्ड भी लगाए गए हैं। यह कृत्य न केवल असंवैधानिक है, बल्कि मानव गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे मानवाधिकारों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन मानते हुए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत संज्ञान लिया है।
आयोग ने हिसार के जिला उपायुक्त को निर्देश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।
आयोग ने यह भी माना है कि इस प्रकार की प्रथाएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 का उल्लंघन हैं तथा अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देती हैं, जो कि लोकतांत्रिक समाज में अस्वीकार्य है।
शिकायतकर्ता सुशील वर्मा ने आयोग से मांग की है कि दोषी व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए तथा देशभर में इस प्रकार की अमानवीय और असंवैधानिक प्रथाओं पर रोक लगाने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

Desh Rojana, Online News, 16/01/2026

Source: https://www.deshrojana.com/top-news/national-human-rights-commission-took-suo-motu-cognizance-of-the/article-296

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिता से अलग हुए लड़के मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग- एनएचआरसी ने बिहार के किशनगंज जिले के एक 15 वर्षीय लड़के के हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपने पिता से अलग होने के बाद महीनों तक बंधुआ मजदूरी कराए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, लड़का रेलवे स्टेशन पर पानी लेने ट्रेन से उतरा लेकिन भीड़ के कारण नहीं चढ़ सका। ट्रेन छूटने के बाद आठ महीने तक उसे बंधुआ मजदूरी की पीड़ा सहनी पड़ी। आखिरकार, कटी हुई कोहनी के साथ वह किसी तरह अपने घर वापस पहुंचा।

समाचार रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि उसे अधिकारियों द्वारा अभी तक केंद्रीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना-2021 के तहत बंधुआ मजदूरी मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है जो पीड़ित के लिए पुनर्वास और मुआवजे के लिए अनिवार्य दस्तावेज है।

आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के तथ्य सत्य हैं, तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। मानवाधिकार आयोग ने इस सिलसिले में हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और बिहार के किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर उनसे दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने अधिकारियों को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया कि पीड़ित को कोई मुआवजा और दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के लाभ के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं।

12 जनवरी 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेन छूटने के बाद लड़का दो दिन तक रेलवे स्टेशन पर रुका रहा। इसके बाद एक व्यक्ति उसे नौकरी दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ले जाकर सुबह से शाम तक मवेशी चराने और चारा काटने का काम करवाता रहा। उसे लगातार शारीरिक यातनाएं दी गईं। पीड़ित ने इस गुलामी से निकल भागने की असफल कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई की गई। समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी दौरान चारा काटने की मशीन में पीड़ित का बायां हाथ फंसने से कोहनी से कट गया। मालिक ने उसका इलाज कराए बिना सड़क पर छोड़ दिया।

इसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति उसे हरियाणा के नूह जिले के एक अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां से पुराने मालिक के हाथों दोबारा पकड़े जाने के डर से वह भाग खड़ा हुआ और तीन किलोमीटर से अधिक नंगे पैर चलता रहा। तभी दो सरकारी शिक्षकों की उस पर निगाह पड़ी और मामले की सूचना हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित राजकीय रेलवे पुलिस -जीआरपी को दी गई। अंततः वह लड़का अगस्त 2025 में अपने घर लौट सका।

Source: https://hindi.dynamitenews.com/uttar-pradesh/a-complaint-has-been-filed-with-the-human-rights-commission-regarding-the-death-of-a-mentally-challenged-woman-in-maharajganj-alleging-negligence/amp

महराजगंज में मानसिक रूप से बाधित महिला की मौत पर मानवाधिकार आयोग से शिकायत, लापरवाही का आरोप

महराजगंज में मानसिक रूप से बाधित महिला की मौत के मामले में एनएचआरसी, राष्ट्रीय महिला आयोग और मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी गई है। प्रशासन व पुलिस पर संवेदनहीनता और कानून उल्लंघन के आरोप लगे हैं।

महराजगंज: जनपद में मानसिक रूप से बाधित एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना को प्रशासनिक संवेदनहीनता और कानूनी लापरवाही का परिणाम बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) सहित कई संवैधानिक एवं प्रशासनिक प्राधिकरणों को औपचारिक शिकायत भेजी गई है।

वरिष्ठ एडवोकेट एवं बॉर्डर लॉयर्स ट्रस्ट के को-फाउंडर विनय कुमार पांडेय द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक (DGP) राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राज्य मानवाधिकार आयोग को ई-मेल के माध्यम से शिकायत प्रेषित की गई है। शिकायत में मानसिक रूप से असहाय महिला को समय रहते सहायता न मिलने पर गहरी चिंता जताई गई है।

शिकायत के अनुसार महिला की मानसिक स्थिति के बावजूद न तो समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई और न ही आवश्यक संरक्षणात्मक उपाय अपनाए गए। आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने Mental Healthcare Act, 2017, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और मानवाधिकार मानकों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया।

मामले में यह भी कहा गया है कि जनपद में मानसिक रूप से विचलित, बेघर और असहाय नागरिकों के लिए कोई प्रभावी रेस्क्यू सिस्टम या शेल्टर होम की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाएं। साथ ही जिले में मानसिक रूप से विचलित महिलाओं एवं पुरुषों के लिए त्वरित राहत, उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

यह मामला केवल एक महिला की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी, महिला सुरक्षा और मानवाधिकार संरक्षण से जुड़ा अहम मुद्दा बन गया है।

Source: https://www.etvbharat.com/hi/state/in-the-aravalli-mountain-range-case-the-presidents-secretariat-has-issued-directives-to-the-ministry-of-environment-and-forests-rajasthan-news-rjs26011505174

अरावली संरक्षण को लेकर बड़ा कदम, राष्ट्रपति सचिवालय ने पर्यावरण मंत्रालय को दिए निर्देश

राष्ट्रपति सचिवालय ने चर्मेश शर्मा की याचिका पर वन मंत्रालय को निर्देश जारी किए. 100 मीटर ऊंचाई नियम हटाने की मांग तेज.

बूंदी: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद अब राष्ट्रपति सचिवालय ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है. बूंदी के कांग्रेस नेता एवं राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय ने 12 जनवरी 2026 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं. चर्मेश शर्मा ने 24 दिसंबर 2025 को यह याचिका दायर की थी, जिसमें अरावली पर्वतमाला की वर्तमान परिभाषा पर गंभीर आपत्ति जताई गई है. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी.

याचिका में मुख्य मांगें: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम राष्ट्रपति सचिवालय में दायर याचिका में अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई है. याचिका में 100 मीटर और उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला मानने के प्रावधान को स्थाई रूप से हटाते हुए पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से अरावली पर्वतमाला की स्थाई परिभाषा निर्धारित करने की मांग की गई है. चर्मेश शर्मा ने याचिका में अरावली को भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अरावली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से भीषण जल संकट उत्पन्न हो सकता है, जो आधे भारत की जीवन रेखा को प्रभावित करेगा.

सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर आपत्ति: याचिका में पर्यावरण मंत्रालय की उस समिति की रिपोर्ट का विरोध किया गया है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश की थी कि केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वतमाला माना जाए. शर्मा का कहना है कि यह प्रावधान मानव जीवन के हितों के विपरीत है और इससे अरावली के बड़े हिस्से संरक्षण से बाहर हो जाएंगे. उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार एक उच्च स्तरीय नई समिति गठित करे, जो ऊंचाई के इस अव्यवहारिक प्रावधान को हटाकर संशोधित रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करे. इसमें पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.

पर्यावरणीय खतरे की चेतावनी: चर्मेश शर्मा ने आगे कहा कि अरावली की परिभाषा में मनमाने फैसले से भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय संकट आ सकता है. इससे जैव विविधता के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा. उन्होंने जोर दिया कि अरावली के संरक्षित दायरे की परिभाषा ऊंचाई या दूरी के बजाय वैज्ञानिक एवं पर्यावरण संरक्षण के आधार पर तय की जानी चाहिए.

Source: https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2026/1/15/NHRC-Notice-Haryana-UP-Bihar.php

युवक को बंधुआ मजदूर बनाने के मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, दो हफ्ते में जवाब तलब

नई दिल्ली, 15 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बहादुरगढ़ स्टेशन पर बिछड़े एक युवक को ग्रेटर नोएडा में बंधुआ मजदूरी और शारीरिक यातनाएं देने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।

एनएचआरसी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्टों के आधार पर इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश स्थित गौतमबुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और बिहार के किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बिहार के किशनगंज जिले का रहने वाला यह युवक अगस्त 2025 के आसपास अपने पिता के साथ यात्रा कर रहा था। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पानी लेने के लिए उतरने के दौरान भीड़ की वजह से वह ट्रेन में वापस नहीं चढ़ सका। बाद में किशोर को एक व्यक्ति नौकरी का झांसा देकर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) ले गया। वहां उसे बंधुआ मजदूर बनाकर मवेशी चराने और चारा काटने के काम में लगा दिया गया। भागने की कोशिश करने पर उसे बेरहमी से पीटा गया। इसके अलावा युवक को अन्य यातनाएं भी दी गईं।

Source: https://insamachar.com/nhrc-took-suo-motu-cognizance-of-the-plight-of-a-boy-who-was-separated-from-his-father-at-bahadurgarh-railway-station-in-haryana-and-forced-into-bonded-labor-for-several-months/

NHRC ने हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पिता से अलग हुए लड़के से महीनों तक बंधुआ मजदूरी कराए जाने की पीड़ा पर स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग- एनएचआरसी ने बिहार के किशनगंज जिले के एक 15 वर्षीय लड़के के हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपने पिता से अलग होने के बाद महीनों तक बंधुआ मजदूरी कराए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, लड़का रेलवे स्टेशन पर पानी लेने ट्रेन से उतरा लेकिन भीड़ के कारण नहीं चढ़ सका। ट्रेन छूटने के बाद आठ महीने तक उसे बंधुआ मजदूरी की पीड़ा सहनी पड़ी। आखिरकार, कटी हुई कोहनी के साथ वह किसी तरह अपने घर वापस पहुंचा।

समाचार रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि उसे अधिकारियों द्वारा अभी तक केंद्रीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना-2021 के तहत बंधुआ मजदूरी मुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है जो पीड़ित के लिए पुनर्वास और मुआवजे के लिए अनिवार्य दस्तावेज है।

आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट के तथ्य सत्य हैं, तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। मानवाधिकार आयोग ने इस सिलसिले में हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और बिहार के किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर उनसे दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने अधिकारियों को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया कि पीड़ित को कोई मुआवजा और दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के लाभ के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है या नहीं।

12 जनवरी 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेन छूटने के बाद लड़का दो दिन तक रेलवे स्टेशन पर रुका रहा। इसके बाद एक व्यक्ति उसे नौकरी दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में ले जाकर सुबह से शाम तक मवेशी चराने और चारा काटने का काम करवाता रहा। उसे लगातार शारीरिक यातनाएं दी गईं। पीड़ित ने इस गुलामी से निकल भागने की असफल कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसकी पिटाई की गई। समाचार रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी दौरान चारा काटने की मशीन में पीड़ित का बायां हाथ फंसने से कोहनी से कट गया। मालिक ने उसका इलाज कराए बिना सड़क पर छोड़ दिया।

इसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति उसे हरियाणा के नूह जिले के एक अस्पताल में पहुंचा दिया, जहां से पुराने मालिक के हाथों दोबारा पकड़े जाने के डर से वह भाग खड़ा हुआ और तीन किलोमीटर से अधिक नंगे पैर चलता रहा। तभी दो सरकारी शिक्षकों की उस पर निगाह पड़ी और मामले की सूचना हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित राजकीय रेलवे पुलिस -जीआरपी को दी गई। अंततः वह लड़का अगस्त 2025 में अपने घर लौट सका।

Source: https://insamachar.com/nhrc-has-taken-suo-motu-cognizance-of-the-alleged-abduction-and-rape-of-a-14-year-old-girl-in-kanpur-district-of-uttar-pradesh/

NHRC ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 14 साल की लड़की के कथित अपहरण और बलात्कार का स्वतः संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 5 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक 14 साल की लड़की के अपहरण और बलात्कार की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आरोपियों में से एक को उत्तर प्रदेश पुलिस का सब-इंस्पेक्टर बताया जा रहा है।

आयोग ने पाया है कि अगर न्यूज रिपोर्ट की बातें सच हैं, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला है। इसलिए, उसने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

10 जनवरी 2026 को छपी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता को 5 जनवरी 2026 की रात को उसके घर के पास से अगवा किया गया था। उसे रेलवे लाइन के पास एक जगह ले जाया गया, जहां दो लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

बताया जा रहा है कि परिवार वाले पीड़िता को एफआईआर दर्ज कराने के लिए भीमसेन पुलिस चौकी ले गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भगा दिया। इसके बाद, परिवार वाले सचेंडी पुलिस स्टेशन गए, जहां कार में सवार अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण और बलात्कार, का मामला दर्ज किया गया।

Source: https://ndtv.in/food/halal-vs-jhatka-on-trains-nhrc-seeks-clarification-from-fssai-and-ministry-of-culture-over-non-veg-food-10752947

रेलवे में मिलने वाला नॉनवेज हलाल या झटका? NHRC का FSSAI और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस, जानें क्या है दोनों में फर्क

Halal vs Jhatka: कुछ सिख संगठनों ने आरोप लगाया है कि भारतीय रेलवे की नॉनवेज थाली में केवल हलाल मांस परोसा जाता है और यह जानकारी यात्रियों को साफतौर से नहीं दी जा रही.

Halal vs Jhatka on Trains: भारतीय रेलवे लाखों यात्रियों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. ट्रेन में मिलने वाला खाना, खासकर नॉनवेज, यात्रियों के लिए यात्रा का स्वादिष्ट हिस्सा होता है. लेकिन, अब इसी रेलवे थाली ने झटका बनाम हलाल मांस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. यह बहस सिर्फ खाने का स्वाद नहीं, बल्कि धार्मिक अधिकार, उपभोक्ता स्वतंत्रता और पारदर्शिता से जुड़ी है. ट्रेन में परोसे या बेचे जाने वाले नॉन-वेज खाने को लेकर लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि वह हलाल पद्धति से तैयार होता है या झटका तरीके से.

झटका और हलाल में क्या अंतर है?

झटका मीट क्या है?

झटका मीट वह होता है, जिसमें जानवर को एक ही स्थिर कट में काटा जाता है, जिससे उसकी इच्छा शक्ति जल्द ही खत्म हो जाती है. यह तरीका मुख्य रूप से सिख और कुछ हिंदू परंपराओं से जुड़ा माना जाता है. मान्यता यह है कि एक ही वार में जीवन समाप्त होने से जानवर को कम समय तक पीड़ा होती है. सिख परंपरा में, खासतौर से रहत मर्यादा के अनुसार, झटका विधि से तैयार किया गया मांस स्वीकार्य माना जाता है. झटका में किसी प्रकार का धार्मिक मंत्र या विशेष उच्चारण आवश्यक नहीं होता. यह पद्धति तुरंत प्रक्रिया पर आधारित है.

हलाल मीट क्या है?

हलाल मीट इस्लामी परंपरा से जुड़ा है. हलाल का अर्थ होता है, जो वैध या स्वीकार्य हो. इस विधि में जानवर को काटते समय ईश्वर का नाम लिया जाता है और एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है. इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि जानवर को अनावश्यक कष्ट न हो और रक्त पूरी तरह निकल जाए. मुसलमान समुदाय के लिए हलाल मीट धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसे शुद्ध माना जाता है.

विवाद कैसे शुरू हुआ?

कुछ सिख संगठनों ने आरोप लगाया है कि भारतीय रेलवे की नॉनवेज थाली में केवल हलाल मांस परोसा जाता है और यह जानकारी यात्रियों को साफतौर से नहीं दी जा रही. उनके मुताबिक, अगर यह सच है तो यह उपभोक्ता की आजादी और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है. इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के समक्ष याचिका दायर की.

NHRC ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और संस्कृति मंत्रालय के सचिवों को नोटिस जारी किया है और उनसे इस बारे में सवाल पूछे हैं. आयोग ने कहा है कि यात्रियों को यह बताना अनिवार्य है कि परोसा गया मांस हलाल है, झटका है, या दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, ताकि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से चुनाव कर सकें.

NHRC ने किस बात पर ध्यान दिया?

NHRC का प्रमुख तर्क यह है कि अगर केवल हलाल मांस ही उपलब्ध कराया जा रहा है और इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही, तो यह उपभोक्ता के भोजन के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है. यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ माना जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके धर्म में हलाल मांस का सेवन वर्जित है.

पारदर्शिता और समाधान के सुझाव

NHRC ने कहा है कि पारदर्शिता बेहद जरूरी है. चाहे रेलवे की ट्रेन की थाली हो या प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला खाना. वे सुझाव दे रहे हैं कि, सभी खाने के ठेकेदारों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि मांस किस विधि से काटा गया है. FSSAI को भी मानक में स्पष्ट रूप से हलाल या झटका की जानकारी शामिल करनी चाहिए ताकि उपभोक्ता सही चुनाव कर सके. संस्कृति मंत्रालय और रेलवे दोनों को अपने नियमानुसार स्पष्ट जानकारी देना सुनिश्चित करना चाहिए.

Punjab Kesari, Online News, 16/01/2026

Source: https://m.haryana.punjabkesari.in/haryana/news/caste-discrimination-separate-crematorium-built-for-sc-community-in-haryana-2277700

मरते समय भी भेदभाव! हिसार में एससी समाज के लिए बनाया अलग श्मशान घाट, मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब

हिसार : हिसार जिले के खासा महाजनान गांव में श्मशान घाट में जाति के आधार पर भेदभाव का गंभीर मामला सामने आया है। गांव में सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अलग-अलग श्मशान घाट बनाया गया है। जाति के आधार पर शमशान घाट निर्धारित करने पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।

मामले की सूचना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। इस मामले को मानव गरिमा और समानता के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए आयोग ने जिला प्रशासन से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।

जाति अनुसार श्मशान घाट के बोर्ड़ लगाए

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने इसकी शिकायत आयोग को दी थी। सुशील वर्मा द्वारा शिकायत में बताया गया कि श्मशान घाट में जातिगत विभाजन को लागू करने के लिए अलग-अलग जगह बनाई गई हैं। इन अलग-अलग श्मशान घाटों पर जाति के अनुसार संकेतिक बोर्ड़ भी लगाए गए हैं। बोर्ड़ों में जनरल के लिए अलग तो एससी समाज के लिए अलग जगह दिखाई गई है। उन्होनें कहा कि यह व्यवस्था न केवल असंवैधानिक है, बल्कि सामाजिक समानता और मानवीय मूल्यों के खिलाफ भी है।

डीसी को 2 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पीठ ने प्रथम दृष्टया इसे मानवाधिकारों का हनन मानते हुए जिला उपायुक्त, हिसार को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

आयोग ने इसे छूआछूत को बढ़ावा देना बताया

आयोग का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 के विरुद्ध हैं और समाज में छूआछूत व बहिष्कार को बढ़ावा देती हैं। शिकायतकर्ता ने दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और ऐसी अमानवीय परंपराओं पर रोक लगाने की मांग की है।

सरपंच प्रतिनिधि की सफाई

इस मामले में गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने सफाई देते हुए बताया कि अलग श्मशान घाट का बोर्ड़ ठेकेदार द्वारा लगाया गया था। सूचना मिलने के बाद बोर्ड़ को हटवा दिया गया है। फिलहाल गांव में किसी प्रकार के तनाव की बात सामने नहीं आई।

Punjab Kesari, Online News, 16/01/2026

Source: https://bihar.punjabkesari.in/bihar/news/minor-from-bihar-forced-into-bonded-labor-nhrc-has-now-taken-cognizance-2277668

पानी लेने के लिए उतरा तो छूट गई ट्रेन...बंधुआ मजदूर बना बिहार का नाबालिग, अब NHRC ने लिया संज्ञान

Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के किशनगंज जिले के एक 15 साल के लड़के को हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर अपने पिता से अलग होने के बाद महीनों तक बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, नाबालिग पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा था, लेकिन भारी भीड़ के कारण दोबारा ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, जिसके बाद उसकी ट्रेन छूट गई और वह स्टेशन पर अकेला रह गया>

बताया जाता है कि लड़का आठ महीने तक लापता रहा, इस दौरान उसे बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी, जिसके बाद वह अपनी बाईं बांह कोहनी से कटी हुई हालत में घर पहुंचने में कामयाब रहा। यह देखते हुए कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो "मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा उठाती है", शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने हरियाणा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, साथ ही गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और किशनगंज के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है।

दो दिनों तक रेलवे स्टेशन पर रहा लड़का

NHRC ने यह भी जानकारी मांगी है कि क्या पीड़ित को कोई मुआवजा दिया गया है और क्या उसे विकलांग व्यक्ति (PwD) अधिनियम, 2016 के तहत लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसने आगे कहा है कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना-2021 के तहत पुनर्वास और मुआवजे के लिए अनिवार्य बंधुआ श्रम मुक्ति प्रमाण पत्र अभी तक अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किया गया है। 12 जनवरी की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ट्रेन छूटने के बाद, लड़का दो दिनों तक रेलवे स्टेशन पर रहा, जिसके बाद एक आदमी ने उसे नौकरी देने के बहाने बहला-फुसलाकर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा ले गया।

सुबह से रात तक काम करने के लिए किया मजबूर

इसमें कहा गया है कि नाबालिग को कथित तौर पर सुबह से रात तक काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें मवेशियों को चराने और चारा काटने का काम शामिल था, और उसे अक्सर शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब लड़के ने बंधन से भागने की कोशिश की, तो उसे पकड़ लिया गया और पीटा गया। बंधुआ मजदूरी के दौरान, कथित तौर पर चारा काटने की मशीन से उसकी बाईं बांह कोहनी से कट गई थी। आरोप है कि मालिक ने उसे बिना किसी मेडिकल मदद के सड़क किनारे छोड़ दिया।

अगस्त 2025 में घर लौटा नाबालिग

इसके बाद, एक अनजान व्यक्ति घायल बच्चे को हरियाणा के नूंह जिले के एक अस्पताल ले गया, जहां से वह दोबारा पकड़े जाने के डर से भाग गया। बताया जाता है कि वह तीन किलोमीटर से ज़्यादा नंगे पैर चला, जिसके बाद दो सरकारी स्कूल टीचरों ने उसे देखा, जिन्होंने हरियाणा के बहादुरगढ़ में सरकारी रेलवे पुलिस को सूचना दी। वह लड़का आखिरकार अगस्त 2025 में अपने घर लौट आया।

The Print, Online News, 16/01/2026

Source: https://hindi.theprint.in/india/nhrc-notice-to-up-police-chief-in-kanpur-minor-girls-kidnapping-and-gang-rape-case/919985/

कानपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में उप्र के पुलिस प्रमुख को एनएचआरसी का नोटिस

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कानपुर जिले में इस महीने की शुरुआत में एक नाबालिग लड़की का कथित अपहरण कर उससे सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की खबरें सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने यह जानकारी दी।

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा, “खबरों के मुताबिक, आरोपियों में से एक उत्तर प्रदेश पुलिस का उप निरीक्षक है।”

एनएचआरसी ने कहा है कि उसने “उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पांच जनवरी को 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और उससे दुष्कर्म की घटना से संबंधित मीडिया पर खबर का स्वत: संज्ञान लिया है।”

आयोग ने पाया है कि अगर खबर में निहित तथ्य सत्य हैं, तो इससे मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मुद्दा उठता है। अतः आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मीडिया में 10 जनवरी को आयीं खबरों के अनुसार, लड़की को “पांच जनवरी की रात को उसके घर के पास से अगवा कर लिया गया था। उसे रेलवे लाइन के पास एक जगह पर ले जाया गया, जहां दो व्यक्तियों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया।”

Source: https://udaybulletin.com/controversy-over-halal-meat-in-the-indian-railways-nhrc-issues-notice-on-a-sikh-organizations-petition-15012026/

भारतीय रेलवे में हलाल मीट पर विवाद, सिख संगठन की याचिका पर NHRC ने जारी किया नोट

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे की थाली में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर झटका बनाम हलाल विवाद अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है. सिख संगठनों की ओर से दायर याचिका पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने रेलवे बोर्ड, FSSAI और संस्कृति मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है.

NHRC ने अपने नोटिस में कहा है कि अगर रेलवे में केवल हलाल मांस परोसा जा रहा है, तो यह उपभोक्ताओं के भोजन के विकल्प के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है. साथ ही, इसे सिख धर्म की आचार संहिता यानी सिख रहत मर्यादा के खिलाफ भी बताया गया है.

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मुद्दे पर कहा, “सिख रहत मर्यादा सिखों को हलाल मांस के सेवन से रोकती है. अगर सिख उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी जा रही कि उन्हें किस तरह का मांस परोसा जा रहा है, तो यह उनके अधिकारों का सीधा उल्लंघन है.”

आयोग ने संस्कृति मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह सभी खाने-पीने की दुकानों और संस्थानों को निर्देश दे कि वे स्पष्ट रूप से यह दिखाएं कि परोसा जाने वाला मीट हलाल है या झटका. NHRC का मानना है कि पारदर्शिता न होना धार्मिक स्वतंत्रता और उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ है.

FSSAI को भेजे गए नोटिस में आयोग ने कहा है कि नॉनवेज फूड के सर्टिफिकेशन में इसका साफ तौर पर जिक्र होना चाहिए कि मीट झटका है या हलाल. इससे उपभोक्ता अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत मान्यताओं के अनुसार निर्णय ले सकेंगे.

प्रियंक कानूनगो ने रोजगार से जुड़े पहलू पर भी गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा, “दारुल उलूम देवबंद के अनुसार हलाल वही माना जाता है जिसमें पशु बलि केवल मुसलमान द्वारा दी गई हो. इससे हिंदू दलित समुदायों को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है, जो परंपरागत रूप से पशु बलि और मांस बिक्री से जुड़े रहे हैं.”

उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उन्हें किस तरह का नॉनवेज परोसा जा रहा है. अपने बयान में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा, “यहां तक कि मुस्लिम देश की एविएशन कंपनी एतिहाद एयरलाइंस भी यात्रियों को हलाल और हिंदू झटका भोजन का विकल्प देती है.”

क्यों है विवाद?

कानूनगो ने बताया कि हमने उन्हें एक नोटिस के माध्यम से पूछा है कि रेलवे में जो ठेकेदार भोजन बेचते हैं या सप्लायर मांस की सप्लाई करते हैं, वह हलाल पद्धति से है या झटका पद्धति से. यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद के अनुसार हलाल पद्धति से जानवर का वध सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं.

उन्होंने कहा, सरकारी एजेंसी होने के नाते रेलवे जो खाना बेच रही है, उसमें मांस किस पद्धति से तैयार किया जा रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए. झटका पद्धति से मांस का वध हिंदू तथा अन्य दलित समुदाय करते हैं. सभी वर्गों के लोगों के जीविका के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार के मांस की बिक्री होनी चाहिए.

ट्रेन के खाने पर लगेगा स्टिकर?

प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा कि रेलवे के साथ-साथ FSSAI को भी नोटिस जारी कर पूछा गया है कि ऐसी संभावनाओं पर विचार किया जाए, जहां भारत में बिकने वाली मांसाहारी सामग्री पर यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाए कि यह सभी धर्मों के लोग खा सकते हैं या नहीं. किसी के लिए प्रतिबंध है तो उसे स्पष्ट रूप से बता दिया जाए. उन्होंने कहा कि भारत में एक अन्य अल्पसंख्यक समुदाय सिख समुदाय है. सिख धर्म मानने वालों के लिए पवित्र नियम पुस्तिका है, जिसमें आर्टिकल 24 में स्पष्ट लिखा है कि सिखों को इस्लामी हलाल पद्धति से तैयार किया गया मीट नहीं खाना चाहिए. यह उनके लिए प्रतिबंधित है. यदि एक विशेष पद्धति से तैयार मीट सिख समुदाय के लिए प्रतिबंधित है, तो अंजाने में उन्हें वही भोजन देना धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है और मानवाधिकार का उल्लंघन है.